न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 86/2025
जी.सी.एम.एस. नं.: 2025/152

1. सोहन सिंह पुत्र महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी 10 बीएलएम ए तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर —प्रार्थी

बनाम

1. महावीर सिंह पुत्र कस्तुरा राम जाति राजपूत निवासी 10 बीएलएम ए तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर
2. पूर्ण सिंह पुत्र महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी 10 बीएलएम ए तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—
1. श्री इन्द्रजीत डाबी, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री नवीन सोनी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1—2
3. राजपैरोकार

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 19.12.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :—

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से भूमि वाके चक 13 बी.एल.एम. ए. का खाता सं0 53 के मु.नं. 17 के प.नं. 210/419 के किला नं. 1/2, 2, 3, 8, 9, 10/2, 11/2, 12, 13, 19/1, 20/4 कुल 2.594 है. कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थी सं0 1 के नाम से भूमि वाके चक 13 बी.एल.एम. ए. का खाता सं0 53 के मु. नं. 17 के प.नं. 210/419 के किला नं. 1/2, 2, 3, 8, 9, 10/2, 11/2, 12, 13, 19, 20/2, 21/1, 22/1 कुल 3.100 है. कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। उक्त वर्णित भूमि अप्रार्थी सं० 1 महावीर सिंह को अपने पिता यानि प्रार्थी के दादा कस्तुरा राम से विरास्त में व बहन मनोहरी कवंर के द्वारा दस्तबरदारी में प्राप्त हुई थी। जिसमे से अप्रार्थी सं0 1 ने उक्त कृषि भूमि के किला नं0 19 का 0.047 है., किला नं0 20 का 0.042 है., किला नं0 21 का 0.196 है. व किला नं0 22 का 0.221 है. रकबा कुल 0.506 है. कमाण्ड रकबा पूर्ण सिंह राठौड़ पुत्र नवल सिंह जाति राजपूत निवासी चक 10 बी.एल.एम. ए तहसील श्रीविजयनगर को जरिये बैयनामा दिनांक 05.08.2024 को बेचान कर दिया है तथा दिनांक 19.09.2024 को पूर्ण सिंह राठौड़ पुत्र नवल सिंह के साथ विभाजन कर लिया। वर्तमान में अप्रार्थी सं० 1 के नाम से भूमि वाके चक 13 बी.एल.एम. —ए. का खाता सं0 53 के मु.नं. 17 के प.नं. 210/419 के किला नं. 1/2, 2, 3, 8, 9, 10/2, 11/2, 12, 13, 19, 20/4 कुल 2.594 है. कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। भूमि अप्रार्थी सं० 1 महावीर सिंह को अपने पिता यानि प्रार्थी के दादा कस्तुरा राम से विरासत में व दस्तबरदारी में प्राप्त हुई है एवं संयुक्त परिवार की आय से अर्जित की हुई है। इस प्रकार उपरोक्त सम्पति जद्दी जायदाद की श्रेणी में आती है। जिसमें प्रार्थी का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित हैं। जिसका प्रार्थी स्वयं को खातेदार टेनेन्ट जरिये वाद घोषित करवा पाने का विधिक अधिकारी है। भूमि अप्रार्थी सं० 1 के नाम से कुल 2.594 है. कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है एवं अप्रार्थी सं० 1 के प्रार्थी और पूर्ण सिंह 2 पुत्र सन्ताने है। जिसमें प्रार्थी सोहन सिंह को मौखिक

उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:43:11 IST
Reason: SelfAttested

बंटवारा के आधार पर उक्त कृषि भूमि के किला नं0 2, 3, 8, 9 का कुल 1.012 है. कमाण्ड रकबा पर प्रार्थी का पूर्व से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिस पर प्रार्थी ने आज रोज तक उक्त वर्णित भूमि को प्रार्थी ही काश्त करता आ रहा है व मुझ प्रार्थी ने ही इस भूमि को अपना मानते हुए संवारा सुधारा व कृषि योग्य बनाया है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं० 1 के मध्य उक्त जद्दी जायदाद का मौखिक बंटवारा काफी अर्सा पूर्व हो चुका है और मौखिक बंटवारा के अनुसार अप्रार्थी सं० 1 ने उक्त कृषि भूमि के किला नं0 2, 3, 8, 9 का कुल 1.012 है. कमाण्ड रकबा पर प्रार्थी ही काबिज चला आ रहा है व प्रार्थी ने उक्त भूमि पर साधिकार काबिज रहते हुए इसे अपने स्तर पर काफी संवारा सुधारा है। कृषि योग्य बनाया है। इसमें अपना अथाह धन व श्रम खर्च कर इसे कृषि योग्य बनाया है व प्रार्थी के सुधारों की बदौलत भूमि में अब अच्छी पैदावार होने लगी है व भूमि की कीमतों में आशातीत वृद्धि हो चुकी है। इसको देख कर अप्रार्थी सं० 1 जो कि प्रार्थी का पिता के मन में लालच व बेईमानी आ गई है व अप्रार्थी सं० 1 उक्त भूमि को हड़प करना चाहता है। जिस प्रकार पूर्व मे ही अप्रार्थी सं0 1 ने उक्त कृषि भूमि का 0.506 है. रकबा पूर्ण सिंह राठौड़ पुत्र नवल सिंह को बेचान कर दिया है। जब प्रार्थी के द्वारा उक्त कृषि भूमि के किला नं0 2, 3, 8, 9 का कुल 1.012 है. कमाण्ड रकबा का अप्रार्थी सं० 1 को भूमि के मौखिक बंटवारा अनुसार प्रार्थी के नाम से दर्ज करवाने बावत कहा तो अप्रार्थी सं0 1 आश्वासन देता रहा कि भूमि का बंटवारा घरेलु तौर पर किया हुआ है आपका कब्जा उक्त किला नं0 2, 3, 8, 9 का कुल 1.012 है. कमाण्ड रकबा पर चला आ रहा है। आप घबराओं मत में उक्त कृषि भूमि का अंकन राजस्व रिकार्ड में आपके नाम से करवा दूंगा। प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी सं० 1 के इसी आश्वासन के अधीन अपनी उक्त कृषि भूमि को काश्त करता रहा। उक्त कृषि भूमि की कीमतों में आशातीत वृद्धि हो के कारण अप्रार्थी सं. 1 के मन में लालच व बेईमानी आ गया है और अप्रार्थर्थी सं० 1 उक्त भूमि को हड़प करना चाहता है। अप्रार्थी सं० 1 उक्त कृषि भूमि को अन्यन्त्र बेचान की फिराक में है तो प्रार्थी ने दिनांक 16.06.2025 को मौतबीरान व्यक्तियो को साथ लेकर दबाव देकर जगदी जायदाद में अप्रार्थी सं0 1 महावीर सिंह के नाम से दर्ज भूमि में से अप्रार्थी सं० 1 व प्रार्थी के मध्य मौखिक बंटवारा के किला नं0 2, 3, 8, 9 का कुल 1.012 है. कमाण्ड रकबा का अंकन राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से दर्ज करवाने बावत कहा तो अप्रार्थी सं0 1 ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया व एलानिया धमकी दी कि वह अपने नाम से दर्ज भूमि को अन्य के नाम से रहन विक्रय अन्य प्रकार से अन्तरित कर प्रार्थी को प्रार्थी के मौखिक बंटवारा मे कब्जा काश्त की भूमि में से महरूम एवं बेदखल जबरन कर देगे। इसलिए वाद पेश करने के अलावा प्रार्थी के पास कोई विकल्प नहीं रहा। बस यही तारीख विनाय मुखास्मत एवं विनाय दावा है जो प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्राप्त है। प्रार्थी को पूरा पूरा अंदेशा है कि अप्रार्थी सं. 1 किसी भी समय अपने उक्त नापाक एवं अवैध इरादे को अंजाम दे सकते है और उक्त विवादित भूमि को अन्यत्र खुर्द–बुर्द व हस्तान्तरित कर सकता है अगर अप्रार्थी सं. 1 अपने उक्त अवैध एवं नापाक इरादे में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रार्थी के विधिक [illegible] सम्पत्तिक अधिकारों का हनन होगा जिसकी पूर्ति मुद्रा की ऐवज में नहीं [illegible] सकेगी इसलिए भी प्रार्थी अप्रार्थी सं० 1 को अस्थाई व्यादेश से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी का मुख्य पेशा कृषि है व उक्त भूमि से प्राप्त आय से ही जीवन निर्वाह का एकमात्र स्रोत है। प्रार्थी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि विवादित कृषि भूमि का विधिक विभाजन करवा कर पूर्व मे हुए मौखिक बंटवारा के आधार पर कब्जाकाश्त में आये किला नं0 2, 3, 8, 9 का कुल 1.012 है. कमाण्ड रकबा का राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा लेवें। प्रार्थी विवादित कृषि भूमि का विधिक विभाजन करवा कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के विधिक अधिकरी है। प्रथम दृष्टया मामला एंव सुविधा का संतुलन व अपूर्णिय क्षति तीनों ही महत्वपूर्ण विन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थी अप्रार्थी को अस्थाई व्यादेश से पाबन्द

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:43:11 IST
Reason: SelfAttested

करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 3 राज्य सरकार का प्रतिनिधि व लैण्ड होल्डर होने के कारण इस वाद में आवश्यक पक्षकार है। वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः वाद–पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। अप्रार्थी सं० 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक इस आश्य की पारित की जाये कि अप्रार्थी सं० 1 विवादित भूमि चक 13 बी.एल.एम. ए. का खाता सं0 53 के मु.नं. 17 के प.नं. 210/419 के किला नं. 1/2, 2, 3, 8, 9, 10/2, 11/2, 12, 13, 19/1, 20/4 कुल 2.594 है. कमाण्ड भूमि को अन्य किसी को रहन, बैय, दान व हस्तान्तरित करने से स्वंय या अपने हित प्रतिनिधि के माध्यम से करने से व प्रार्थी के कब्जा में दखलअन्दाजी करने से बाज एंव ममनू रहे और मौका तथा रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 जरिए अधिवक्ता उपस्थित आए। अप्रार्थी सं. 1–2 जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि भूमि विरास्तन दस्तबरदारी से प्राप्त होना स्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 महावीर सिंह की दो सन्ताने होना स्वीकार है, लेकिन आज रोज तक किसी भी प्रकार का कोई मौखिक बंटवारा विवादित कृषि भूमि के संबंध में नहीं हुआ है ना ही प्रार्थी सोहन सिंह का उक्त कृषि भूमि पर किसी भी तरह से कोई कब्जाकाश्त है, तो उक्त कृषि भूमि को सोहन सिंह सवारना सुधारना कृषि योग्य बनाने का प्रश्न ही नहीं होता। मौखिक बंटवारा होना अस्वीकार है। ना ही कभी अप्रार्थीगण 1 व 2 द्वारा प्रार्थी सोहन सिंह के साथ कभी भी किसी प्रकार की पंचायत में व राजस्व रिकॉड में किला बन्दी/किला विभाजन आवश्वासन दिया नहीं दिया है। प्रार्थी सोहन सिंह द्वारा तथ्य बढाचढा कर गलत दर्ज करवाये है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति तीनो ही बिन्दू प्रार्थी सोहन सिंह के पक्ष में ना होकर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में है। उक्त कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ही काश्त किया जा रहा है आज रोज तक किसी भी सन्तान द्वारा कास्त नहीं किया गया है व नाही उक्त कृषि भूमि को संवारा सुधारा गया है उक्त कृषि भूमि से प्राप्त फसल का हिस्सा प्रार्थी सोहन सिंह प्राप्त करता रहा है अप्रार्थी संख्या 1 महावीर सिंह द्वारा बैंक से उक्त कृषि भूमि से सवारने व सुधाने हेतु व कृषि औजार हेतु बैंक से ऋण प्राप्त किया था लेकिन पिछले कुछ वर्षो से अच्छी पैदावार ना होने के कारण उक्त ऋण चुकाया नहीं जा सका उक्त ऋण की अदायगी बाबत ही प्रार्थी सोहन सिंह की सहमति से ही उक्त कृषि भूमि का कुछ हिस्सा बेचान किया गया था लेकिन अब प्रार्थी सोहन सिंह के मन में बेईमानी व लालच आ जाने के कारण उक्त मौखिक बंटवारा व कब्जाकाश्त की मनगढत तथ्यों को लेकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जो अप्रार्थी सं. 1 को उनके पिता से विरासत एवं दस्तबरदारी से प्राप्त हुई है जो जद्दी जायदाद पैतृक सम्पति की परिभाषा में आती है, जिसमें प्रार्थी का [illegible] है। विवादित भूमि में प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा उसके हिस्सा की भू[illegible]खिक बंटवारा में दी हुई है, जिस पर प्रार्थी काबिज का[illegible] उसके हिस्सा की भूमि से महरूम करने व कब्जा का[illegible] है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन [illegible]दि अप्रार्थी अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्ष[illegible] होगी। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण अपनी बहस में कथन किया कि भूमि के संबंध में कोई मौखिक बंटवारा नहीं हुआ है। ना ही अप्रार्थी की कोई संतान भूमि पर काबिज काश्त है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा ही भूमि को काश्त किया जा रहा है। प्रार्थी की

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:43:11 IST
Reason: SelfAttested

राहमति से ऋण लिया गया था। अप्रार्थी भूमि के रिकार्डेड टिनेंट है, प्रार्थी अप्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यदि अप्रार्थी के विरूद्ध निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी और वो अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग एवं उपभोग से वंचित हो जाएगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी के नाम से रिकार्ड में दर्ज विवादित खातेदारी भूमि अप्रार्थी सं. 1 को विरासत में जरिए दस्तवरदारी प्राप्त होने तथा उसमें प्रार्थी का जन्म से हक व हिस्सा निहित होने, अप्रार्थी द्वारा विशिष्ट किलाजात मौखिक बंटवारा में प्रार्थी को दिए जाने एवं उस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होना आधार अंकित कर अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है। जिस पर अप्रार्थी द्वारा आपत्ति प्रकट की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। जमावंदी चक 13 वीएलएम ए खाता सं. 53 में दर्ज मु.नं. 17 प.नं. 210/419 की कुल 2.594है. कमाण्ड भूमि महावीर सिंह पुत्र कस्तुराराम के नाम से खातेदार दर्ज है। नामान्तरण चक 13 वीएलएम ए नामा.सं. 135 स्वीकृत दिनांक 20.06.2005 के अनुसार प.न. 210/419 की कुल 6.200 कमाण्ड भूमि कस्तुराराम से फूसाराम–महावीर सिंह– मनोहर कंवर के नाम से विरास्तन आधार पर दर्ज हुई है, जो नामा. सं. 138 के अनुसार दस्तवरदारी के आधार पर फूसाराम – महावीर सिंह के नाम से व.हि.व. दर्ज हुई जो कि नामा. सं. 146 स्वीकृत दिनांक 28.02.06 से तहसीलदार श्रीविजयनगर के आदेश क्रमांक 2575 दिनांक 04.09.2024 के द्वारा विभाजित होकर महावीर सिंह के नाम से कि.नं. 1,2,3,8,9,10,11,12,13,19,20,21,22 की 3.100है. दर्ज हुई। बैयनामा महावीर सिंह वहक पूर्ण सिंह राठौड दिनांक 19.07.2024 के द्वारा 0.506है. रकवा विक्रय हुआ।

5. उपर्युक्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि अप्रार्थी सं. 1 को विरास्तन एवं दस्तावरदारी से प्राप्त हुई है, भूमि में से कुछ अंश विक्रय भी किया गया है जो कि अप्रार्थी भी अपने जवाब में स्वीकार करते है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। न्यायालय के मत में यदि वाद के निस्तारण होने तक भूमि अन्यत्र रहन वैय अन्तरण हो जाती है तो तृतीय पक्ष के सृजन होने से मुकदमावाजी वढ़ने और प्रकरण के निस्तारण होने में अनावश्यक विलम्ब होना संभावित है। ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना उचित है।

–: आदेश :–

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 26.06.2025 को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म/स्थाई किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 19.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:43:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर